सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/182 दर्ज तिथिः–13.04.2022

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुवालाल
2. बाबूलाल पुत्र सुवालाल
3. रामेश्वर पुत्र सुवालाल
4. श्रीनारायण पुत्र सुवालाल
5. सियाराम पुत्र सुवालाल
6. कमलेश पुत्र मांगीलाल
7. बनवारी पुत्र मांगीलाल
8. महेश पुत्र मांगीलाल
9. रविशंकर पुत्र मांगीलाल
10. लालाराम पुत्र मांगीलाल
11. राजेश पुत्र मांगीलाल
12. गैंदी देवी पत्नी मांगेलाल

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र नारायण
2. छोटेलाल पुत्र नारायण
3. रामगोपाल पुत्र नारायण
4. रामराय पुत्र मूलचन्द
5. विष्णु पुत्र मूलचन्द
6. दिनेश पुत्र छोटेलाल
7. नन्दराम पुत्र छोटेलाल
8. शंकर पुत्र छोटेलाल
9. गीता पत्नी प्यारेलाल
10. रामेश्वरी पत्नी मूलचन्द
11. रमकी पत्नी छोटेलाल
12. छोटी पत्नी रामगोपाल
13. सुनिता पत्नी रामराय
14. उर्मिला पत्नी विष्णु
15. सुशीला पत्नी दिनेश
16. रीना पत्नी नन्दराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासी गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीः– श्री बनवारीलाल।
प्रतिवादीः– अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 21.07.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 13/0.14 है0, 14/0.21 है0, 20/0.28 है0, 47/0.13 है0, 48/0.31 है0, 53/0.14 है0, 57/0.13 है0, 69/0.24 है0, 73/0.10 है0, 74/0.22 है0, 08/0.18 है0, 88/0.04 है0, 09/0.14 है0, 94/0.12 है0, 95/0.13 है0 किता 15 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम गुवाडा हनुमान की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा–कार्यवाही अमल में लाई गयी। वाद–पत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया गया एवं प्रकरण में बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

3. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गयेः–
    1. जमाबन्दी संवत्–2073–76 वाकै ग्राम गुवाडा हनुमान (प्रदर्श–01)

4. वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–
    1. श्रीनारायण पुत्र [illegible] जाति [illegible] ब्राहमण निवासी गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी (पी. डब्लू–01)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

2. सुरेश चन्द पुत्र बद्रीप्रसाद जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–02)
3. गंगाधर पुत्र गोविन्दराम जाति मीना निवासी गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–03)

5. वाद–पत्र में विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

6. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया । वादी अधिवक्ता द्वारा वाद–पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2076 खसरा संख्या 13/0.14 है0, 14/0.21 है0, 20/0.28 है0, 47/0.13 है0, 48/0.31 है0, 53/0.14 है0, 57/0.13 है0, 69/0.24 है0, 73/0.10 है0, 74/0.22 है0, 08/0.18 है0, 88/0.04 है0, 09/0.14 है0, 94/0.12 है0, 95/0.13 है0 किता 15 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम गुवाडा हनुमान के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है। साक्ष्य गवाह बयान भी वादी के पक्ष को साबित करते है।

7. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–
   1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076 हाल आराजी खसरा संख्या 13/0.14 है0, 14/0.21 है0, 20/0.28 है0, 47/0.13 है0, 48/0.31 है0, 53/0.14 है0, 57/0.13 है0, 69/0.24 है0, 73/0.10 है0, 74/0.22 है0, 08/0.18 है0, 88/0.04 है0, 09/0.14 है0, 94/0.12 है0, 95/0.13 है0 किता 15 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम गुवाडा हनुमान जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी आराजी साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।

   2. ***सुविधा का संतुलनः–*** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।

   3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested

संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत *स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी* आराजी खसरा संख्या 13/0.14 है0, 14/0.21 है0, 20/0.28 है0, 47/0.13 है0, 48/0.31 है0, 53/0.14 है0, 57/0.13 है0, 69/0.24 है0, 73/0.10 है0, 74/0.22 है0, 08/0.18 है0, 88/0.04 है0, 09/0.14 है0, 94/0.12 है0, 95/0.13 है0 किता 15 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम गुवाडा हनुमान *तहसील* थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे–इजलास सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/182 दर्ज तिथिः–13.04.2022

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुवालाल
2. बाबूलाल पुत्र सुवालाल
3. रामेश्वर पुत्र सुवालाल
4. श्रीनारायण पुत्र सुवालाल
5. सियाराम पुत्र सुवालाल
6. कमलेश पुत्र मांगीलाल
7. बनवारी पुत्र मांगीलाल
8. महेश पुत्र मांगीलाल
9. रविशंकर पुत्र मांगीलाल
10. लालाराम पुत्र मांगीलाल
11. राजेश पुत्र मांगीलाल
12. गैंदी देवी पत्नी मांगेलाल

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र नारायण
2. छोटेलाल पुत्र नारायण
3. रामगोपाल पुत्र नारायण
4. रामराय पुत्र मूलचन्द
5. विष्णु पुत्र मूलचन्द
6. दिनेश पुत्र छोटेलाल
7. नन्दराम पुत्र छोटेलाल
8. शंकर पुत्र छोटेलाल
9. गीता पत्नी प्यारेलाल
10. रामेश्वरी पत्नी मूलचन्द
11. रमकी पत्नी छोटेलाल
12. छोटी पत्नी रामगोपाल
13. सुनिता पत्नी रामराय
14. उर्मिला पत्नी विष्णु
15. सुशीला पत्नी दिनेश
16. रीना पत्नी नन्दराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासी गुवाडा हनुमान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीः– श्री बनवारीलाल।
प्रतिवादीः– अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

:–पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत *स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी* आराजी खसरा संख्या 13/0.14 है0, 14/0.21 है0, 20/0.28 है0, 47/0.13 है0, 48/0.31 है0, 53/0.14 है0, 57/0.13 है0, 69/0.24 है0, 73/0.10 है0, 74/0.22 है0, 08/0.18 है0, 88/0.04 है0, 09/0.14 है0, 94/0.12 है0, 95/0.13 है0 किता 15 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम गुवाडा हनुमान *तहसील* थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

उक्त पर्चा डिक्री की प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

उक्त पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2023 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त सरे–इजलास जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.28 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested